आकाशवाणी, गोरखपुर

दिनांक–20 जुलाई 2024 सान्ध्य समाचार

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज सुबह से ही प्रदेस के सभी जिलों में सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पौधे लगाने का क्रम जारी है। अभियान की शुरूआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पौधा रोप कर की। दोपहर बाद अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान में पौध रोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम आह्वान, हर भारतवासी के लिए मंत्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी की कुल आबादी पचीस करोड़ है, हम छत्तीस करोड़ पचास लाख पौध रोपण कर रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे है। ऐसे में यूपी में आज एक दिन के भीतर हर मातृ शक्ति के नाम पर तीन पेड़ लग रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि गत वर्ष बड़े क्षेत्रफल में अक्टूबर में बाढ़ आई थी। बाढ़ का समय अगस्त से मध्य सितंबर तक रहता है। पहली बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर होना पड़ा। इससे यूपी के 24 जनपद, 20 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित रही। नेपाल व उत्तराखंड की अतिवृष्टि के कारण यह बाढ़ के चपेट में आए। यह ग्लोबल वॉर्मिंग का दुष्प्रभाव है।उधर उन्नाव में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पौध रोपण कर पर्यावरण संरक्षण में पौधों की भूमिका के बारे में जानकारी दी।

****

राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी– एन टी ए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट–यूजी का शहरवार और केन्द्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एन टी ए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले हैं। इससे पहले न्यायालय ने एन टी ए को उम्मीदवारों की पहचान की मास्किंग कर आज दोपहर बारह बजे तक वेबसाइट पर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। परिणाम वेबसाइट neet.ntaonline.in पर उपलब्ध हैं।

****

बाइस जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयारियां तेज कर दी गयी हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग के मरम्मत के साथ ही यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले दुकानों के आगे नेम प्लेट लगवाने की कार्यवाही शुरू हो गयी है, तो वहीं कुछ जनपदों में यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मांस–मछली की दुकानें पूरे एक महीने तक के लिये बन्द करायी जा रही है। इसी क्रम में वाराणसी में मैदागिन से लेकर गोदोलिया तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वहीं, कई रूटों पर वाहनों के प्रतिबंधित होने के कारण वाराणसी स्कूल एसोसिएशन ने सावन के महीने में सोमवार को स्कूल बंद करने का फैसला किया है और इसकी जगह रविवार को स्कूल खोले जाएंगे।

स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा की वजह से जगह–जगह जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में स्कूली बच्चों को सर्वाधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि एसोसिशन ने सोमवार को स्कूल बन्द करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के साथ ही पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन भी इस फैसले पर सहमत है।.

इस बार श्रावण मास का शुभारम्भ और समापन दोनों सोमवार को हो रहा है। उधर, अमरोहा में कांवड. यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी मांसाहारी होटल को बंद करा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आज सम्बन्धित यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया और पूरे सावन माह तक ऐसे होटलों और रेस्टोरेंट को बंद रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जिले को चार सुपर जोन, बारह सेक्टर और बहत्तर उप सेक्टरों में बांट कर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

****

सामान्य जन और किसानों की ओर से साधारण मिट्टी का खनन किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए अपने खेतों से सौ घन मीटर तक की मिट्टी का खनन और परिवहन किया जा सकेगा। इसके लिये परमिट की जरूरत नहीं है। शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में अपने प्रदेश की मिट्टी दूसरे प्रदेश में परिवहन न की जाय। इस सम्बन्ध में सभी तहसील और थानों को दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। शासन के संज्ञान में लगातर इस तरह की शिकायतें आ रहीं थीं कि जन सामान्य द्वारा अपने निजी कार्य अथवा सामुदायिक कार्य के लिये अपने खेत से मिट्टी खुदाई कर ले जाने पर पुलिस, प्रशासन परमिट की मांग करता था। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नर और एसएसपी, एसपी को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि अपने खेत से सौ घन मीटर तक की मिट्टी खनन और परिवहन करने वालों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

****